(a) whether any proposal has been received to provide a train halt at Srinivasapuri (New Delhi); and

(b) if so, what is the action taken by Government thereon?

The Deputy Minister of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Yes.

(b) The proposal is under examination.

Indian Veterinary Research Institute

1846. Shrimati Ila Palchoudhuri: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a vaccine from the brains of mice is under preparation at the Indian Veterinary Research Institute at Izatnagar (U.P.);

(b) if so, the details of its use; and

(c) the quantity to be manufactured annually?

The Deputy Minister of Agriculture (Shri M. V. Krishnappa): (a) Yes.

(b) The Vaccine will be used for immunising horses against the South African Horse Sickness.

(c) It is not possible to indicate at this stage the total quantity of vaccine that might be manufactured annually.

परिवार निमोजन

१८४७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री १० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति ने जो सिफारिशें की हैं उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : परिवार नियोजन तृतीय पंचवर्षीय योजना समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही इस प्रकार है :—

(१) आयोजना आयोग ने परिवार नियोजन को उच्च प्राथमिकता दी है तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में बतलाया है कि "विकास आन्दोलन में जनसंख्या के स्थिरीकरण के उद्देश्य को निश्चय ही एक अनिवार्य अंग मानना पड़ेगा ।"

(२) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे सभी लोगों को, उनकी आय का विचार न करते हुए, बन्ध्यीकरण की सुविधायें निःशुल्क प्रदान करें । निम्नलिखित बातों के लिये शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया गया है :—

(१) अध्यापन कार्य में लगी मेडिकल संस्थाओं तथा जिला अस्पतालों के स्टाफ को बन्ध्यीकरण शल्यकर्म करने के हेतु बढ़ाने के लिये ।

(२) बन्ध्यीकरण शल्यकर्मों के लिये राज्य सरकारों, स्थानिक निकायों एवं स्वयंसेवी संगठनों के मेडिकल अफसरों के प्रशिक्षण के लिये ।

(३) रेतोवाहिन्युच्छेदन-शल्यकर्म (वेसेक्टोमी आपरेशन) के लिये चलती फिरती शल्य-एककों की व्यवस्था ।

(३) जनता को परिवार नियोजन की निःशुल्क सेवायें प्रदान करने वाले राज्य सरकार तथा स्थानिक निकायों एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रत्येक क्लिनिक, अस्पताल, औषधालय, प्रसूतिगृह, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्र को १५०० रुपये का वार्षिक अनुदान प्रदान किया गया है । व्यापारिक संगठनों, निर्माताओं, मिलों, फैक्टरियों तथा चाय के उद्यानों के प्रत्येक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्र को १००० रुपये तक के इसी प्रकार के वार्षिक अनुदान दिये जाते हैं । ये अनुदान सम्बन्धित राज्य सरकार के प्रशासकीय मेडिकल अफसर की सिफारिशों पर स्वीकृत होते हैं ।

(४) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा निम्न प्रकार से गर्भरोधकों के वितरण के भी आदेश दिये जा चुके हैं :—

३०० रुपये या इससे कम मासिक आय वाले लोगों को मुफ्त, ३०० रुपये से ५०० रु० तक की मासिक आय वालों को आधी कीमत पर तथा ५०० या इससे अधिक मासिक आय वालों को क्रय मूल्य पर । ग्रामीण क्षेत्रों में शीथ, जेली तथा फोम टिकियां, आय का विचार न करते हुए, मुफ्त बांटी जाती हैं ।

(५) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अपेक्षित स्वदेशी गर्भरोधकों का उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(६) तृतीय पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन क्लीनिकों को दी जाने वाली आवर्ती एवं अनावर्ती आर्थिक सहायता के स्वरूप का प्रश्न विचाराधीन है

(७) समस्त राज्य सरकारों को परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्रों के विकास के लिय आर्थिक सहायता दी गई है ।

(८) १. वर्तमान मिश्रित स्वास्थ्य चर्रों के कोर्स अगले पांच वर्षों तक जारी रखने;

२. मेडिकल कर्मचारियों के लिये दो सप्ताह से दो मास तक के अल्पकालिक प्रशिक्षण कोर्सों; और

३. मेडिकल कालेजों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के स्त्री रोग-विज्ञान तथा धातु-विज्ञान विभाग में परिवार नियोजन अनुभाग की स्थापना के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(९) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् से परिवार नियोजन के चिकित्सीय पहलुओं पर अनुसन्धान योजनायें आमंत्रित की गई हैं । जनांकिकीय अनुसंधान बढ़ाया जा रहा है । संचार एवं अभिरोचन पर अनुसंधान प्रारम्भ किया जा रहा है ।

(१०) पारिवारिक-जीवन-शिक्षा, जिसमें यौन शिक्षा, वैवाहिक शिक्षा, पितृत्व एवं गृह-व्यवस्था सम्मिलित हैं, की आवश्यकता पर शिक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है ।

(११) परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये प्रशासकीय एवं आर्थिक प्रणाली को सरल बनाने की सिफारिश का पुनरवलोकन किया जा रहा है । इस बीच परिवार नियोजन क्लिनिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के स्वीकृत स्वरूप, जिनके अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं बशर्ते कि व्यय निर्धारित सीमा से अधिक हो, की आनम्यता के बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(१२) प्रसूति एवं शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन में सुप्रशिक्षित पूर्णकालिक मेडिकल अफसर की नियुक्ति करके राज्यों के जिला स्वास्थ्य संगठनों को सुदृढ़ करने की सिफारिश विचाराधीन हैं ।

(१३) जहां तक एक स्वायत केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड, जिसके पास परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये पर्याप्त आर्थिक साधन तथा शक्तियां हों, की स्थापना की सिफारिश का सम्बन्ध है, भारत सरकार समझती है कि सम्भव है स्वायत्त बोर्ड का बनाया जाना इस कार्यक्रम, जिसकी क्रियान्विति मुख्यतया राज्य सरकारों की मेडिकल एवं स्वास्थ्य सेवाओं में होती हैं, के विस्तार का हल न हो । इच्छित परिणाम प्रशासकीय एवं आर्थिक प्रणालियों को सरल बनाने तथा आर्थिक एवं प्रशासकीय अथारिटी के विकेन्द्रीकरण से प्राप्त हो सकते हैं ।

(१४) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अस्थायी रूप से २५ करोड़ रुपये की राशि रखी गई है ।